प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. सभी अधिकारी मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुरुग्राम (एन0सी0आर0)।
4. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
6. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. कल्याण अधिकारी (महीला) फरीदाबाद व पानीपत।
9. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।

क्रमांकः स्था0/01/2018/21534-74
दिनांकः 26-6-18

विषयः— **भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी, 2019 के अवसर पर पदम पुरस्कार प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, गृह विभाग द्वारा जारी पत्र जिसमें उन द्वारा सूचित किया गया है कि विषय संबंधी मामलें में पदम पुरस्कर (पदम श्री, पदम भूषण व पदम विभूषण) प्रदान करने संबंधी सिफारिशें इस वर्ष 15.09.2018 तक सिर्फ ऑनलाईन भारत सरकार की बैवसाईट पर सीधे तौर भेजी जाएगी व यदि कोई आवेदन राज्य सरकार के माध्यम से अपना आवेदन भेजना चाहता है तो उसका आवेदन अपनी सिफारिशों सहित् दिनांक 04.07.2018 से पहले भेजें ताकि मामलें में विचार किया जा सकें तथा सरकार द्वारा अनुमोदित आवेदन भारत सरकार को भेजा जा सकें।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ श्रेणी—III के कर्मचारियों को इस बारे अवगत करवायें और इच्छुक कर्मचारी जो अपना आवेदन भिजवाना चाहता है, उनके नाम मुख्यालय को नियमानुसार दिनांक 04.07.2018 सांय 05.00 बजे तक अग्रेषित करें।

संलग्नःउपरोक्त

D. Kumari
उप अधीक्षक (स्था0),
कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।